# गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(नैक से A ग्रेड प्राप्त एवं यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

## प्रबन्ध–मण्डल की 17 वीं बैठक कार्यवृत

**दिनांक** : 05.05.2021
**समय** : प्रातः 11:00 बजे
**माध्यम** : ऑनलाईन गूगल मीट से (link ID:- https://meet.google.com/zia-wsio-cvg)

सदन की बैठक में निम्न महानुभाव उपस्थित हुए ।

1. प्रो0 रूप किशोर शास्त्री, कुलपति–अध्यक्ष
2. प्रो0 एस0सी बागड़ी, भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय) के नामित सदस्य
3. श्री नरिन्दर सिंह कटारिया, मान्य कुलाधिपति के नामित सदस्य
4. डॉ0 नैपाल सिंह तोमर, मान्य कुलाधिपति के नामित सदस्य
5. श्री प्रेम भारद्वाज, मान्य कुलाधिपति के नामित सदस्य
6. श्री विनय आर्य, प्रायोजक संस्था द्वारा नामित सदस्य
7. प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
8. प्रो0 नवनीत, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
9. प्रो0 मनुदेव बन्धु, वरिष्ठ प्रोफेसर, सदस्य
10. प्रो0 निपुर सिंह, कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून, सदस्या
11. डॉ0 प्रवीणा चतुर्वेदी, वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर, सदस्या
12. प्रो0 विनोद कुमार सिंह, कुलसचिव/संयोजक

ईश वन्दना के साथ बैठक प्रारम्भ हुई।

बैठक में सेवारत प्रो0 पी0सी0 जोशी श्री राजीव कुमार एवं श्री यशपाल सिंह तथा सेवानिवृत्त पूर्व आचार्य एवं उपकुलपति प्रो0 वेदप्रकाश शास्त्री एवं श्री रामकृष्ण के आकस्मिक निधन पर सदन द्वारा 02 मिनट का मौन रखा गया तथा भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी।

**प्रस्ताव संख्या 01** **समविश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल (BoM) में शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से सदस्य के रुप में पूर्व में नामित सदस्य का कार्यकाल पूर्ण होने पर उनके स्थान पर नये सदस्य को नामित किये जाने के सम्बन्ध में ।**

विश्वविद्यालय के MoA के अनुसार प्रबन्ध मण्डल (BoM) में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के परामर्श से नामित सदस्य प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार का निर्धारित कार्यकाल समाप्त हो जाने के उपरान्त किये गये पत्राचार के आलोक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित पत्रांक F.No.16-8/2020-U.3 (A) दिनांकित 03.03.2021 के अनुसार दिनांक 03.03.2021 से 03 वर्ष हेतु डॉ0 एस0सी0 बागड़ी, प्रोफेसर, मांउट एवं पर्यटन केन्द्र, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) श्रीनगर (उत्तराखण्ड) को विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल (BoM) में केन्द्र सरकार के सदस्य के रुप में नामित किया गया है।

**मान्य कुलपति जी द्वारा प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रो0 एस0सी0 बागड़ी का स्वागत किया गया तथा समस्त सदस्यों द्वारा प्रो0 एस0सी0 बागड़ी के प्रबन्ध मण्डल में भारत सरकार द्वारा सदस्य नामित किये जाने पर अभिनन्दन किया गया । तदनुसार प्रस्ताव का अंकन किया गया।**

प्रस्ताव संख्या 02

**समविश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल (BoM) में वरिष्ठ एसोशिएट प्रोफेसर के रुप में पूर्व में नामित सदस्य का कार्यकाल पूर्ण होने पर उनके स्थान पर नये सदस्य को नामित किये जाने के सम्बन्ध में ।**

विश्वविद्यालय के MoA के अनुसार प्रबन्ध मण्डल (BoM) में वरिष्ठ एसोशिएट प्रोफेसर के रुप में नामित सदस्य डॉ0 सुनील पंवार का निर्धारित कार्यकाल समाप्त हो जाने के उपरान्त मान्य कुलपति जी स्वीकृति के अनुसार दिनांक 05.04.2021 से 02 वर्ष अथवा एसोशिएट प्रोफेसर के कार्यकाल तक (जो भी पहले हो) डॉ0 प्रवीणा चतुर्वेदी को विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल (BoM) में वरिष्ठ एसोशिएट प्रोफेसर के रुप में सदस्य नामित किया गया है।

**मान्य कुलपति जी द्वारा प्रबन्ध मण्डल की बैठक में डॉ0 प्रवीणा चतुर्वेदी का स्वागत किया गया तथा समस्त सदस्यों द्वारा डॉ0 प्रवीणा चतुर्वेदी के प्रबन्ध मण्डल में सदस्या नामित किये जाने पर अभिनन्दन किया गया। तदनुसार प्रस्ताव का अंकन किया गया।**

प्रस्ताव संख्या 03

**समविश्वविद्यालय में प्रो0 विनोद कुमार सिंह को कुलसचिव (कार्यवाहक) के रुप में एवं प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव को वित्ताधिकारी (कार्यवाहक) के रुप में अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय के कुलसचिव (कार्यवाहक) का अतिरिक्त कार्य कर रहे प्रो0 दिनेश चन्द्र भट्ट दिनांक 31.03.2021 को विश्वविद्यालय की नियमिति सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा वित्ताधिकारी (फिक्स मानदेय पर) का कार्य कर रहे श्री राजेन्द्र कुमार मिश्र के द्वारा अस्वस्थता के कारण दिनांक 31.03.2021 से कार्यमुक्त किये जाने हेतु अनुरोध को मान्य कुलपति जी के द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। अतः वर्तमान में विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं वित्ताधिकारी पद के कार्यों को सुचारु रुप से कराये जाने हेतु कुलसचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार प्रबन्ध अध्ययन संकाय के प्रोफेसर डॉ0 विनोद कुमार सिंह को दिनांक 01.04.2021 से तथा वित्ताधिकारी पद का अतिरिक्त कार्यभार मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉ0 एस0के0 श्रीवास्तव को दिनांक 02.04.2021 से मान्य कुलपति जी द्वारा अग्रिम आदेश तक दिया गया है।

**समस्त सदस्यों द्वारा प्रो0 विनोद कुमार सिंह को कुलसचिव (कार्यवाहक) एवं प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव को वित्त अधिकारी (कार्यवाहक) को अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने पर सदन में स्वागत किया गया।**

प्रस्ताव संख्या 04

**समविश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 10.01.2021 की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की विगत बैठक दिनांक 10.01.2021 को गुरुकुल, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) में सम्पन्न हुई थी, जिसकी कार्यवाही सभी सदस्यों को दिनांक 21.01.2021 को इस आशय से भेजी गयी थी कि यदि कार्यवाही में कोई आपत्ति है तो 15 दिन में (दिनांक 05.02.2021 तक) सूचित करने का कष्ट करें। इस कार्यवाही पर प्रबन्ध मण्डल के सदस्य डॉ0 सुनील पंवार द्वारा दिनांक 01.02.2021 को प्रस्ताव संख्या 07 एवं अन्य पूरक प्रस्ताव संख्या 04 पर, प्रो0 मनुदेव बन्धु द्वारा दिनांक 04.02.2021 को प्रस्ताव संख्या 07 एवं 11 पर एवं प्रो0 निपुर सिंह द्वारा 05.02.2021 को प्रस्ताव संख्या 07 एवं अन्य पूरक प्रस्ताव संख्या 04 के सम्बन्ध में अपनी–अपनी आपत्ति प्रेषित की गयी थी। प्रेषित की गयी आपत्ति को कार्यवृत्त में सम्मिलित कर

प्रबन्ध मण्डल के समस्त मान्य सदस्यों को दिनांक 01.03.2021 को ईमेल के द्वारा अवगत करा दिया गया था।

**उक्त प्रस्ताव पर श्री विनय आर्य ने कहा कि दिनांक 10.01.2021 की BoM बैठक में डॉ0 निपुर सिंह द्वारा स्ववित्त पोषित नियमावली पर सुझाव दिये गये थे, आपत्ति नहीं की गयीं थीं। अतः इनके सुझाव को प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने श्री विनय आर्य के कथन का समर्थन किया। कुलसचिव ने अवगत कराया कि सम्बन्धित प्रस्ताव पर पुनः विचार हेतु वर्तमान प्रबन्ध मण्डल की बैठक के प्रस्ताव संख्या 09 में प्रस्ताव प्रस्तुत है। अतः प्रस्ताव संख्या 09 में जो निर्णय लिया जायेगा। तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।**

**शिक्षकों के पी0बी0ए0एस0 के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति के सन्दर्भ में डॉ0 नवनीत ने कहा कि पी0बी0ए0एस0 प्रोफॉर्मा सभी स्थायी शिक्षकों से भराया जाना आवश्यक है। जिससे सम्बन्धित शिक्षक के शैक्षणिक/अनुसंधान कार्यों के गुणवत्ता का आकलन किया जा सके। सभी सदस्यों द्वारा उक्त पर अपनी सहमति दी गयी।**

**प्रस्ताव संख्या 05** **समविश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 10.01.2021 में पारित प्रस्तावों का कियान्वयन।**

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 10.01.2021 में पारित प्रस्तावों का कियान्वयन की रिपोर्ट संलग्न है।

**उक्त प्रस्ताव पर मान्य कुलपति जी ने कहा कि प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 10.01.2021 में पारित प्रस्तावों का कार्यवृत सभी मान्य सदस्यों को प्रेषित कर दिया गया था। अतः दिनांक 10.01.2021 में पारित प्रस्तावों के कियान्वयन पर यदि किसी सदस्य का कोई सुझाव/विचार है तो उस पर सदन में चर्चा की जा सकती है। किसी भी सदस्य द्वारा कोई भी सुझाव/विचार प्रस्तुत न किये जाने पर प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 10.01.2021 में पारित प्रस्तावों का कियान्वयन को स्वीकार किया गया।**

**प्रस्ताव संख्या 06** **समविश्वविद्यालय के अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत के विभिन्न विभागों में फरवरी/मार्च 2020 में नवनियुक्त शिक्षकों के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धित प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय में प्रबन्ध मण्डल की बैठक **दिनांक 27.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 06** के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में माह फरवरी/मार्च 2020 में चयन समितियों की संस्तुति के आलोक में चयनित शिक्षकों के सीलबन्द लिफाफे खोले गये थे। चयनित 22 शिक्षकों/शिक्षिकाओं में से 19 शिक्षकों/शिक्षिकाओं को मान्य कुलपति जी के आदेशानुसार माह मार्च 2021 में नियुक्ति पत्र जारी कर दिये गये थे। जिनमें से निम्न शिक्षकों/शिक्षिकाओं के द्वारा अपने सम्बन्धित विभाग में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

**अनुरक्षण अनुदानान्तर्गतः–**

| क0 सं0 | नाम | पदनाम | विभाग/विषय | संकाय/परिसर | कार्यभार ग्रहण तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डॉ0 सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश | प्रोफेसर (सामान्य) | योग विज्ञान | योग एवं शारीरिक शिक्षा | 01.04.2021 (पूर्वाहन) |
| 2. | डॉ0 मुकेश कुमार पुत्र श्री रुपचन्द्र शर्मा | प्रोफेसर (सामान्य) | वनस्पति विज्ञान | जीव विज्ञान | 01.04.2021 (पूर्वाहन) |
| 3. | डॉ0 राकेश कुमार पुत्र श्री भोपाल सिंह | प्रोफेसर (सामान्य) | मनोविज्ञान | मानविकी | 01.04.2021 (पूर्वाहन) |
| 4. | डॉ0 राम प्रकाश वर्णी पुत्र जगराम सिंह | प्रोफेसर (सामान्य) | श्रद्धानन्द वैदिक शोध संस्थान | प्राच्य विद्या | 16.04.2021 (पूर्वाहन) |
| 5. | डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रामभाऊ | प्रोफेसर (सामान्य) | वेद | प्राच्य विद्या | 20.04.2021 (पूर्वाहन) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | डॉ0 कुशवाहा दिलीप कुमार<br>पुत्र श्री उदयनाराण | एसोशिएट प्रोफेसर (सामान्य) | प्राचीन भा. इति., संस्कृति एवं पुरा. | प्राच्य विद्या | 01.04.2021 (पूर्वाहन) |
| 7. | डॉ0 विनीत कुमार<br>पुत्र श्री वेदप्रकाश शास्त्री | असिस्टेन्ट प्रोफेसर (सामान्य) | सूक्ष्मजीव विज्ञान | जीव विज्ञान | 01.04.2021 (पूर्वाहन) |
| 8. | डॉ0 सुनीति आर्य<br>पुत्री श्री सुरेश चन्द्र आर्य | असिस्टेन्ट प्रोफेसर (सामान्य) | संस्कृत | कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून | 01.04.2021 (पूर्वाहन) |
| 9. | डॉ0 कल्पना सागर<br>पुत्री श्री सी0एम0 सागर | असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एस.सी.) | सूक्ष्मजीव विज्ञान | कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार | 01.04.2021 (पूर्वाहन) |
| 10. | डॉ0 चिरंजीव बैनर्जी<br>पुत्र श्री टी0के0 बैनर्जी | असिस्टेन्ट प्रोफेसर (सामान्य) | सूक्ष्मजीव विज्ञान | जीव विज्ञान | 01.04.2021 (पूर्वाहन) |
| 11. | श्री रामचन्द्र मेघवाल<br>पुत्र श्री दीपाराम मेघवाल | असिस्टेन्ट प्रोफेसर (एस.सी.) | वेद | प्राच्य विद्या | 01.04.2021 (पूर्वाहन) |
| 12. | श्री सुनील कुमार<br>पुत्र श्री प्रीतम सिंह | असिस्टेन्ट प्रोफेसर (दिव्यांग) | हिन्दी | मानविकी | 03.04.2021 (पूर्वाहन) |
| 13. | डॉ0 रीना वर्मा<br>पुत्री श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा | असिस्टेन्ट प्रोफेसर (ई.डब्लू.एस.) | अंग्रेजी | कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून | 05.04.2021 (पूर्वाहन) |
| 14. | श्री अरुण सिंह अवाना<br>पुत्र श्री करण सिंह अवाना | असिस्टेन्ट प्रोफेसर (ओ0बी0सी0) | अंग्रेजी | मानविकी | 17.04.2021 (पूर्वाहन) |
| 15. | डॉ0 वरुण बक्शी<br>पुत्र श्री राज एन. बक्शी | असिस्टेन्ट प्रोफेसर (सामान्य) | अंग्रेजी | मानविकी | 19.04.2021 (पूर्वाहन) |

उक्त 19 अभ्यर्थियों को जारी नियुक्ति पत्र के अतिरिक्त एसोशिएट प्रोफेसर पद पर चयनित 02 अभ्यर्थियों डॉ0 निशान्त राय एवं डॉ0 आरती भारद्वाज का अनुभव निजी शिक्षण संस्थाओं का होने के कारण तथा एतद्विषयक यू0जी0सी0 के गाइडलाईन एवं प्रबन्ध मण्डल (10.01.2021) के निर्णीत बिन्दुओं के अपेक्षित स्पष्टीकरण के चलते अभी तक उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नही किये गये हैं। अतः उक्त दोनों अभ्यर्थियों के निजी शिक्षण संस्थाओं के कार्य अनुभव को मान्य किये जाने अथवा न किये जाने का निर्णय प्रबन्ध मण्डल द्वारा करणीय है।

02 शिक्षकों डॉ0 औतार लाल मीणा एवं डॉ0 विनय कुमार द्वारा दिनांक 30.06.2021 तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु किये गये निवेदन पर मान्य कुलपति जी द्वारा उक्त शिक्षकों को इस विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु नियमानुसार दिनांक 30.06.2021 (तीन माह) तक का समय प्रदान किया गया है। अन्य 02 चयनित अभ्यर्थियों डॉ0 प्रमोद कुमार गोन्ड एवं डॉ0 राजेश कुमार द्वारा निर्धारित अवधि (20.04.2021) तक कार्यभार ग्रहण नही किया गया है।

शेष 01 अभ्यर्थी डॉ0 हरीश चन्द्र को प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.01.2021 के प्रस्ताव संख्या 03 के बिन्दु 06 के निर्णय के अनुसार निजी सेवाओं से सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

**उपर्युक्त 02 अभ्यर्थियों (डॉ0 निशान्त राय एवं डॉ0 आरती भारद्वाज) के निजी संस्था में सेवा अनुभव के सम्बन्ध में विचारार्थ/निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर डॉ0 नैपाल सिंह तोमर एवं प्रो0 एस0सी0 बागड़ी ने कहा कि आवेदन पत्रों के स्क्रीनिंग के समय ही समस्त प्रपत्रों की जांच (वेतनमान, अनुभव तथा संलग्न किये गये प्रमाण–पत्रों) कर लेनी चाहिए। प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने सदन को अवगत कराया कि उक्त 02 अभ्यर्थियों (डॉ0 निशान्त राय एवं डॉ0 आरती भारद्वाज) के कुछ प्रपत्रों में प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.01.2021 में लिये गये निर्णय के उपरान्त कुछ संशय होने के कारण उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नही किया गया है। श्री नरिन्दर सिंह कटारियां ने कहा कि समस्त प्रकिया पूर्ण कर ली गयी है तो सम्बन्धित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिये जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में मान्य कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.01.2021 की बैठक में निजी संस्थागत सेवाओं से सम्बन्धित जो निर्णय लिया गया है तो उसी परिपेक्ष्य में उक्त अभ्यर्थियों के द्वारा समस्त मानक पूरे कर लिये जाने के उपरान्त ही उन्हें नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रकिया की जायेगी।**

**अतः बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डॉ0 निशान्त राय एवं डॉ0 आरती भारद्वाज से प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.01.2021 में निजी संस्थाओं की सेवाओं के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही पूर्ण की जाये। तत्पश्चात ही इनके नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार प्रकिया की जाये।**

प्रस्ताव संख्या 07

**समविश्वविद्यालय में कुलपति के निजी सचिव श्री शशिकान्त के द्वारा दिनांक 15.02.2021 को प्रतिनियुक्ति हेतु प्रेषित प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय में कुलपति के निजी सचिव श्री शशिकान्त के द्वारा दिनांक 15.02.2021 को एम्स ऋषिकेश में प्रमुख निजी सचिव पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिये कार्यमुक्त किये जाने हेतु अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है।

श्री शशिकान्त ने एम्स, ऋषिकेश में प्रमुख निजी सचिव पद पर उचित माध्यम तथा विश्वविद्यालय के अनापत्ति प्रमाणपत्र सहित आवेदन किया था जिस पर इनका चयन कर एम्स, ऋषिकेश द्वारा जनवरी, 2020 में नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया था। श्री शशिकान्त के द्वारा अपने कैरियर उन्नति को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, ऋषिकेश में प्रमुख निजी सचिव पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 27.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 12 में यह निर्णय लिया गया था **"कि किसी भी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी को नियमानुसार प्रतिनियुक्ति पर ही अन्यत्र सरकारी संस्थाओं में सेवा पर जाने की स्वीकृति दी जाये।"**

**उपर्युक्त के आलोक में श्री शशिकान्त को प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने हेतु निर्णय लिये जाने के सन्दर्भ में प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रो0 एस0सी0 बागड़ी एवं श्री विनय आर्य ने कहा कि जब इन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया है तो इन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने हेतु कोई आपत्ति नही होनी चाहिए। इस सन्दर्भ में डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने कहा कि श्री शशिकान्त को प्रतिनियुक्ति पर मानवीय दृष्टि से भी भेजा जा सकता है। मान्य कुलपति जी ने कहा यदि प्रबन्ध मण्डल को स्वीकार्य है तो श्री शशिकान्त को नियमानुसार प्रतिनियुक्ति आधार पर जाने हेतु कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।**

प्रस्ताव संख्या 08

**समविश्वविद्यालय के शिक्षक डॉ0 राकेश गिरी के प्रोफेसर पद पर प्रौन्नति के उपरान्त एरियर राशि जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.01.2021 के प्रस्ताव संख्या 05 (शिक्षकों के प्रौन्नति के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव) में डॉ0 राकेश गिरी के प्रोफेसर पद पर प्रौन्नति के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया **कि यदि डॉ0 राकेश गिरी द्वारा कोई भी वाद विश्वविद्यालय के खिलाफ दायर किया गया है तो श्रेयष्कर होगा कि इन्हें CAS प्रोन्नति का लाभ वाद वापस लेने अथवा न्यायालय द्वारा सम्बन्धित वाद पर अंतिम निर्णय दिये जाने के बाद दिया जाये।**

उपरोक्त निर्णय के आलोक में डॉ0 राकेश गिरी के प्रोफेसर पद पर प्रौन्नति के वेतन निर्धारण नही किया गया है। डॉ0 राकेश गिरी द्वारा दिनांक 11.02.2021 को प्रेषित पत्र में अंकन किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड–नैनीताल में जो वाद संख्या 115 of 2018 (SB) दायर किया गया है वह विश्वविद्यालय द्वारा मेरे प्रारम्भिक वेतनमान के निर्धारण के उपरान्त कटौती की जा रही राशि के सम्बन्ध में है। चूंकि एसोशिएट प्रोफेसर के स्तर पर दिनांक 24.04.2015 से न्यूनतम वेतनमान लागू होने पर वेतन निर्धारण में कोई अन्तर नही आया है। अतः मेरे प्रोफेसर पद पर प्रौन्नति के उपरान्त भी वेतन निर्धारण में कोई अन्तर नही आयेगा।

चूंकि डॉ0 राकेश गिरी के वाद पर निर्णय होने पर इनके एसोशिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर पद के वेतन निर्धारण में कोई अन्तर प्रतीत नही होता है। अतः डॉ0 राकेश गिरी के प्रोफेसर पद पर प्रौन्नति उपरान्त वेतन निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में **पुनः विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव के द्वारा डॉ0 राकेश गिरी के प्रकरण को सदन में रखा गया। इस सम्बन्ध में श्री नरिन्दर सिंह कटारिया एवं श्री प्रेम भारद्वाज ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय द्वारा डॉ0 राकेश गिरी के पूर्व वेतन प्रकरण के सम्बन्ध में कटौती की गयी है तथा मान्य न्यायालय द्वारा भी उसे स्वीकार कर लिया गया है। अतः जब तक मान्य न्यायालय में केस है तो इन्हें सेवानिवृत्ति लाभ न दिये जाये। श्री विनय आर्य ने कहा कि डॉ0 राकेश गिरी द्वारा पूर्व में जो गलत प्रपत्र प्रेषित किये गये थे एवं इनके पूर्व के वेतन–निर्धारण किसके द्वारा किया गया तथा वाद के चलते हुए इन्हें कैसे प्रोफेसर बनाया गया है। इसी प्रकरण पर डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने कहा कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इस सम्बन्ध में एक समिति गठित कर निर्णय लिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में निम्न समिति का गठन किया गया है:–**

1. श्री नरिन्दर सिंह कटारिया – अध्यक्ष
2. प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव – सदस्य
3. कुलसचिव (पदेन) – सदस्य–संयोजक

**उक्त समिति डॉ0 राकेश गिरी के पूरे प्रकरण (विश्वविद्यालय में प्रथम नियुक्ति के समय वेतन निर्धारण, मान्य न्यायालय में किये गये वाद एवं प्रोफेसर पद पर प्रौन्नति) के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रेषित करेगी।**

**डॉ0 राकेश गिरी के दिनांक 31.05.2021 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त देय सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उन्हें एसोशिएट प्रोफेसर पद के वर्तमान मूलवेतन के अनुसार अंतरिम पेंशन एवं भविष्य निधि राशि को जारी कर दिया जाये तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को वाद पर निर्णय आने अथवा इनके द्वारा वाद वापस लिये जाने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।**

**प्रस्ताव संख्या 09**

**प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.01.2021 के प्रस्ताव संख्या 07 के अनुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय एवं विभागों में वर्तमान में कार्यरत तथा भविष्य में नियुक्त होने वाले शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में बनाये गये सेवा शर्तों एवं नियमावली के पुनः विचारार्थ हेतु प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.01.2021 के प्रस्ताव संख्या 07 के अनुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय एवं विभागों में वर्तमान में कार्यरत तथा भविष्य में नियुक्त होने वाले शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवा शर्तों एवं नियमावली का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। उक्त प्रबन्ध मण्डल की बैठक (10.01.2021) के कार्यवृत पर कुछ सदस्यों (प्रो0 मनुदेव बन्धु, प्रो0 निपुर सिंह एवं डॉ0 सुनील पंवार) द्वारा उक्त नियमावली पर अपनी आपत्ति/सुझाव दिये गये है कि स्ववित्त पोषित विभागों हेतु बनाये गये नियम पूर्व में नियुक्त नियमित कर्मचारियों पर लागू नही किये जाने चाहिए।

**अतः प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.01.2021 में स्ववित्त पोषित संकायों एवं विभागों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु पारित सेवा शर्तो एवं नियमावली पर पुनः विचारार्थ हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.01.2021 में स्ववित्त पोषित संकायों एवं विभागों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु पारित सेवा शर्तो एवं नियमावली को ही लागू किया जाये। अतः बैठक में स्ववित्त पोषित संकायों एवं विभागों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु पारित सेवा शर्तो एवं नियमावली को मई 2021 से लागू किया जाना स्वीकार किया गया**

तथा यह व्यवस्था समस्त स्थायी एवं अनुबन्ध आधार पर कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर समान रुप से लागू होगी।

प्रस्ताव संख्या 10

**विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को नियमानुसार प्रतिमाह परिवहन भत्ता (T.A.) दिये जाने के सन्दर्भ में विचार।**

विश्वविद्यालय में ग्रीष्मावकाश के दौरान विभागीय कार्य व विश्वविद्यालय कार्यार्थ कर्मचारियों को विभागों में उपस्थित होना पड़ता है। केन्द्रीय कर्मचारियों हेतु लागू नियमावली के अनुसार परिवहन भत्ता पूर्णतः अनुपस्थित वाले माह हेतु देय नही होता है, परन्तु यदि उपस्थिति किसी कलैण्डर माह के किसी भाग की होती है तो परिवहन भत्ता पूरे माह हेतु स्वीकार्य होता है। अभी तक विश्वविद्यालय में यह प्रचलन/व्यवस्था रही है कि यदि कोई कर्मचारी पूरे कलैण्डर माह में एक दिन भी उपस्थित रहता है तो उसे पूरे कलैण्डर माह शत प्रतिशत परिवहन भत्ता दिया जाता रहा है। उक्त निर्णय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.10.2019 को प्रस्ताव संख्या–12 पर लिया गया था, लेकिन इस निर्णय पर दिनांक 14.12.2019 को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में आपत्ति दर्ज कराई गई थी तथा निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय हित को देखते हुए इसकी समीक्षा पुनः की जानी चाहिए।

**उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि इस प्रस्ताव पर दिनांक 30.04.2021 को विश्वविद्यालय की वित्त समिति में चर्चा हुई तथा वित्त समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि:–**

1. **परिवहन भत्ता आवास से कार्यस्थल तक आने एवं जाने में हुए व्यय की क्षति पूर्ति के लिये दिया जाता है।**
2. **यदि अवकाश किसी पूर्व कलैण्डर माह के लिये लिया जाता है तो यह भत्ता उस महीने के लिये देय नही होगा।**
3. **यदि पूरे कलैण्डर महीने में 16 अथवा 16 दिन से अधिक (रविवार, अवकाश तथा वेकेशन छोड़कर) की उपस्थिति है तो यह भत्ता पूरे कलैण्डर माह के लिये देय होगा।**
4. **यदि पूरे कलैण्डर महीन में 15 दिन अथवा उससे कम उपस्थिति है तो उस महीने में परिवहन भत्ता उपस्थिति के अनुपात में ही देय होगा।**
5. **उक्त व्यवस्था एक जून 2021 से प्रभावी होगी**

**इस सम्बन्ध में डॉ0 नैपाल सिंह तोमर एवं प्रो0 एस0सी0 बागड़ी ने कहा कि यह वित्त सम्बन्धित मामला है। यह प्रस्ताव वित्त समिति में पारित हो चुका है इसलिए वित्त समिति में हुए निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही की जानी चाहिए। प्रस्ताव उपरोक्तानुसार पारित किया गया।**

प्रस्ताव संख्या 11

**कर्मचारियों को फिक्स चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं वास्तविक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने के सन्दर्भ में विचार।**

अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत स्थायी रुप से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय का भुगतान किया जाता रहा है। समस्त कार्यरत कर्मचारियों से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना चाहिए कि वह अपने सेवा काल में एक बार घोषणा पत्र कि वे फिक्स चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेना चाहते हैं अथवा वास्तविक चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेना चाहेंगें। उक्त प्रस्ताव नितान्त निर्णय लेने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

**उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि इस प्रस्ताव को दिनांक 30.04.2021 को विश्वविद्यालय के वित्त समिति में चर्चा हुई तथा वित्त समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत**

**स्थायी रुप से कार्यरत कर्मचारियों से घोषणा पत्र ले लिया जाये कि वे फिक्स अथवा वास्तविक चिकित्सा प्रतिपूर्ति में से किसी एक का चयन करें तथा यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2021–2022 से प्रभावी होगी। कर्मचारियों द्वारा एक बार दिया गया घोषणा पत्र उनके सम्पूर्ण सेवाकाल के लिये लागू रहेगाा तथा इसको बीच में किसी भी अवस्था में परिवर्तित नही किया जा सकेगा। अतः प्रस्ताव को उपर्युक्तानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–2022 से लागू किये जाने हेतु सर्वसम्मति से पारित किया गया।**

**प्रस्ताव संख्या 12** **विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्ताधिकारी एवं पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर हुए साक्षात्कार के सील बन्द लिफाफे खोले जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय में रिक्त कुलसचिव, वित्ताधिकारी एवं पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 21.02.2021 को साक्षात्कार का आयोजन किया गया था। साक्षात्कार समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरान्त चयनित किये गये अभ्यर्थियों की संस्तुति (नोटशीट) सीलबन्द लिफाफे में है।

अतः उपर्युक्त पदों के सीलबन्द लिफाफे खोले जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत है।

**बैठक में सभी सदस्यों के सम्मुख कुलसचिव, वित्ताधिकारी एवं पुस्तकालयाध्यक्ष पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों के सीलबन्द लिफाफे खोले गये। खोले गये लिफाफों के अनुसार विश्वविद्यालय में कुलसचिव पद पर डॉ0 सुनील कुमार पुत्र श्री हरपाल सिंह एवं वित्ताधिकारी पद पर श्री राजीव तलवार पुत्र श्री प्राणनाथ तलवार की नियुक्ति हुई है। पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर कोई योग्य अभ्यर्थी न पाये जाने के कारण उक्त पद पर किसी का भी चयन नही किया गया। अतः कुलसचिव एवं वित्ताधिकारी पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।**

**प्रस्ताव संख्या 13** **विश्वविद्यालय में अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लेने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से विगत 02 वित्तीय वर्षों से नॉन–सेलरी तथा डेवलपमेन्ट ग्राण्ट मद में बजट राशि स्वीकृत न किये जाने के कारण विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के निर्माणाधीन भवनों का कार्य धनराशि उपलब्ध न होने के कारण विगत् काफी समय से पूरा नही कराया जा सका। चूंकि सम्बन्धित अधूरे निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण कराया जाना आवश्यक है, जिससे कि विभागों एवं कक्षाओं का कार्य सुचारु से चलाया जा सके। इस हेतु पंजाब नेशनल बैंक से विश्वविद्यालय द्वारा बैंक में करायी गयी एफ0डी0आर0 के सापेक्ष लगभग रु. दस करोड़ का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में अधूरे पड़े निर्माणाधीन भवनों का कार्य पूरा कराया जा सके तथा कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार में बी.ए., बी.एस.सी., बी.बी.ए., एम.बी.ए. की कक्षाओं हेतु भवन का निर्माण कार्य कराया जा सके।

**इस प्रस्ताव पर श्री नरिन्दर सिंह कटारिया ने कहा कि विभागों से इस आशय की जानकारी ले ली जाये कि किस विभाग को कितने क्षेत्रफल के भवन की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मान्य कुलपति जी ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय को विगत दो वर्षों से नॉन–सेलरी मद में कोई भी बजट यू0जी0सी0 द्वारा स्वीकृत नही किया किया गया है और ना ही भवन निर्माण हेतु कोई डेवलपमेन्ट ग्राण्ट ही आ रही है। अतः वर्तमान में अधूरे भवनों को पूर्ण करने एवं नये पाठ्यक्रमों हेतु भवनों का निर्माण कार्य नही कराया जा सका। कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार में विगत वर्ष से छात्राओं हेतु बी.ए., बी.एस.सी. पाठयक्रमों को खोला गया है तथा बी.बी.ए. व एम.बी.ए. देहरादून को भी कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार में स्थानान्तरित किया गया है। उक्त**

पाठ्यक्रमों हेतु भी नये भवनों की आवश्यकता है। श्री विनय आर्य ने कहा कि सर्वप्रथत अधूरे भवनों के कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु ऋण लिया जा सकता है। डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने कहा कि यदि बैंक से विश्वविद्यालय द्वारा की गयी एफ0डी0आर0 के विरुद्व ऋण लिया जाता है तो उस पर एफ0डी0आर0 से अधिक अतिरिक्त ब्याज सहित सम्बन्धित ऋण का भुगतान विश्वविद्यालय को करना होगा। प्रो0 एस0सी0 बागड़ी ने कहा कि भवनों को बनाये जाने का चयन इस प्रकार होना चाहिए जो **Revenue Generate** कर सकें। उपर्युक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक समिति का गठन कर कार्यवाही को पूर्ण कर लिया जाये। इस हेतु निम्न समिति का गठन किया गया है:–

| | | |
|---|---|---|
| 1 श्री प्रेम भारद्वाज | – | अध्यक्ष |
| 2 प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार | – | सदस्य |
| 3 श्री विनय आर्य | – | सदस्य |
| 4 श्री नरिन्दर सिंह कटारिया | – | सदस्य |
| 5 वित्ताधिकारी (पदेन) | – | संयोजक |

उपर्युक्त समिति बैंक से लिये जाने वाले ऋण, अधूरे भवनों एवं नये भवनों के सम्बन्ध में तथा ऋण को वापस किये जाने के सम्बन्ध में पॉलिसी बनाने इत्यादि पर कार्य करेगी।

उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत मान्य कुलपति जी द्वारा पुण्यभूमि के भवनों पर बड़े वृक्षों के होने तथा जर्जरित भवनों और ग्रामवासिओं तथा आर्यजनों की कांगड़ी गांव में स्वामी श्रद्वानन्द द्वार बनाये जाने की मांग हेतु कार्य करने की अपील के मद्देनजर पुरानी कांगड़ी में स्थित पुण्यभूमि के भवन के साफ–सफाई एवं रख–रखाव हेतु डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने रु.51,000/– दान दिये जाने की घोषणा की तथा श्री प्रेम भारद्वाज द्वारा कांगड़ी में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के माध्यम से एक भव्य श्रद्वानन्द द्वार बनाये जाने की सहमति दी। उक्त पुण्य कार्य के आलोक में सदन द्वारा इन दोनों माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 **विश्वविद्यालय में नये भवनों के निर्माण कार्यों एवं अन्य शैक्षिक गतिविधियों हेतु Higher Education Funding Agency (HEFA) से ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों में नये भवनों, प्रयोगशालाओं एवं अनुसंधान कार्यों हेतु नये भवनों का निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है तथा विश्वविद्यालय के वेद मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से विकास अनुदान तथा अन्य मदों में बजट राशि स्वीकृत न किये जाने के कारण विश्वविद्यालय का विकास प्रायः पूर्ण रुप से अवरुद्व है। अतः विश्वविद्यालय में नये भवनों के निर्माण कार्यों एवं अन्य शैक्षिक गतिविधियों हेतु Higher Education Funding Agency (HEFA) से रु.100 करोड़ जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है। जिससे कि विश्वविद्यालय में अध्ययन–अध्यापन एवं अनुसंधान कार्यों का सुचारु से रुप से सम्पन्न कराये जा सके।

**उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव संख्या 13 के अन्तर्गत गठित समिति ही कार्यवाही संपन्न करेगी।**

प्रस्ताव संख्या 15 **डॉ0 संजील कुमार को नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.01.2021 के प्रस्ताव संख्या 10 के अन्तर्गत डॉ0 संजील कुमार के प्रकरण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि **'इनके द्वारा मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड–नैनीताल में दायर वाद वापस लिये जाने अथवा**

**वादपर मान्य उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय/आदेश दिये जाने के पश्चात् ही प्रबन्ध मण्डल की अनुमति के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी"।**

उक्त निर्णय के आलोक में डॉ0 संजील कुमार को दिनांक 03.03.2021 को पत्र प्रेषित किया गया था। डॉ0 संजील कुमार द्वारा दिनांक 22.03.2021 को प्रेषित पत्र के माध्यम से अवगत करया गया है कि इनके द्वारा दिनांक 15.03.2021 को मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड–नैनीताल में दायर वाद वापस ले लिया है, जिसकी पुष्टि विश्वविद्यालय के विधि प्रकोष्ठ के द्वारा भी की गयी है।

चूंकि डॉ0 संजील कुमार के द्वारा वाद वापस लिया जा चुका है। अतः डॉ0 संजील कुमार का स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के छात्रावास में अवर श्रेणी लिपिक (पूर्व पदनाम जूनियर असिस्टेन्ट) पद पर सातवें वेतन आयोग के परिपेक्ष्य में देय वेतनमान, वेतन लेवल–02 रु.19900–63200 (पांचवे वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान रु.3050–4590) में वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार से होगाः–

| क0सं0 | विवरण | वेतनमान/राशि |
|---|---|---|
| 1. | सातवें वेतन आयोग के अनुसार अवर श्रेणी लिपिक पद का आरम्भिक मूल वेतन | 19900.00 |
| 2. | वर्तमान मंहगाई भत्ता (DA) @17% | 3393.00 |
| 3. | आवास भत्ता (HRA)@8% | 1592.00 |
| 4. | परिवहन भत्ता (TA) 900+900x17% | 1053.00 |
| 5. | कुल देय वेतन (1+2+3+4) | **25938.00** |

**अतः प्रबन्ध मण्डल में पूर्व में दिनांक 10.01.2021 की बैठक में लिये गए निर्णय एवं उपरोक्त के आलोक में डॉ0 संजील कुमार को नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर श्री विनय आर्य ने कहा कि डॉ0 संजील कुमार के प्रकरण पर पूर्ण विचार कर लिया जाना चाहिए। प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने सदन को अवगत कराया कि डॉ0 संजील कुमार को भत्ते स्ववित्त पोषित नियमावली के अन्तर्गत ही देय होगें। मान्य कुलपति जी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि डॉ0 संजील कुमार द्वारा दिनांक 15.03.2021 को विश्वविद्यालय के विरुद्व किये गये वाद को वापस ले लिया गया है। अतः इन्हें दिनांक 16.03.2021 से पूर्व के पदनाम जूनियर असिस्टेन्ट (वर्तमान पदनाम अवर श्रेणी लिपिक) के वेतन लेवल– 02 में मूलवेतन रु.19,900/– (सातवें वेतन आयोग के अनुसार) एवं स्ववित्त पोषित नियमावली के अन्तर्गत देय भत्तों सहित नियमित रुप से नियुक्त किया जाता है तथा इनके पूर्व के अस्थायी सेवा के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु निम्न समिति का गठन किया गया हैः–**

**1 श्री नरिन्दर सिंह कटारिया – अध्यक्ष**
**2 प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव – सदस्य–संयोजक**

## पूरक प्रस्तावों पर विचारः–

पूरक प्रस्ताव संख्या 01 **समविश्वविद्यालय में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया हेतु आयोजित परीक्षा को आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.01.2021 के प्रस्ताव संख्या 06 के अन्तर्गत स्वीकृत रिक्रूटमेन्ट रुल्स के अनुसार विश्वविद्यालय में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के रिक्त

पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति की प्रकिया आरम्भ किया जाना आवश्यक है। चूंकि वर्तमान में शिक्षकेत्तर वर्ग के काफी पद लम्बे समय से रिक्त चले आ रहे है तथा NAAC मूल्यांकन शीघ्र ही अपेक्षित है, उसमें उक्त विषयक को भी अंकित किया जाना है, उक्त भौतिक मूल्यांकन एवं निरीक्षण से पूर्व उक्त प्रकिया का करना आवश्यक है। चूंकि शिक्षकेत्तर वर्ग के अन्तर्गत वेतन लेवल–07 तक के पदों को परीक्षा के माध्यम से भरे जाने हैं। अतः शिक्षकेत्तर वर्ग के अन्तर्गत रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया को आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से आरम्भ किये जाने की **स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर श्री नरिन्दर सिंह कटारिया ने कहा कि विश्वविद्यालय में समस्त परीक्षाओं को कराये जाने के लिए परीक्षा नियंत्रक कार्यालय है। अतः इन परीक्षाओं को कराने हेतु परीक्षा नियंत्रक कार्यालय स्वयं सक्षम है। इस सन्दर्भ में डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने कहा कि प्रस्ताव में पूर्ण विवरण अंकित होना चाहिए कि आउटसोर्स में तथा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा कराने पर कितना–कितना खर्च होगा। प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में कुछ पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा का सफल आयोजन किया जा चुका है। अतः वर्तमान में रिक्त शिक्षकेत्तर पदों के लिये परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा कराया जाना उचित होगा। इस सन्दर्भ में प्रो0 एस0सी0 बागड़ी एवं श्री नरिन्दर सिंह कटारिया ने प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव के कथन का समर्थन किया तथा यह भी सुझाव दिया कि पारदर्शिता हेतु एक अथवा दो ऑब्जवर बना लिये जाये। इस प्रस्ताव पर मान्य कुलपति जी ने कहा कि प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार एवं श्री विनय आर्य को ऑब्जवर के रुप में नियुक्त किया जा सकता है।**

**अतः उपर्युक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रिक्त शिक्षकेत्तर वर्ग के पदों के लिये परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा ही संपन्न कराया जाये तथा प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार एवं श्री विनय आर्य को ऑब्जवर के रुप में नियुक्त कर लिया जाये।**

पूरक प्रस्ताव संख्या 02 **समविश्वविद्यालय के चिकित्सा केन्द्र में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत फिजियोथेरेपिस्ट (Physiotherapist) एवं सहायक फिजियोथेरेपिस्ट (Assistant Physiotherapist) के रुप में फिक्स वेतन पर अस्थायी रुप से एक–एक पद की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

समविश्वविद्यालय के चिकित्सा केन्द्र में मात्र एक अंशकालिक चिकित्सक डॉ0 समीर कुमार श्रीवास्तव फिक्स वेतन पर कार्य कर रहे है। स्वास्थ्य केन्द्र में समय–समय पर फिजियोथेरेपी से सम्बन्धित कार्य की आवश्यकता होती है। अतः चिकित्सा केन्द्र हेतु स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत फिजियोथेरेपिस्ट (Physiotherapist) एवं सहायक फिजियोथेरेपिस्ट (Assistant Physiotherapist) के रुप में वॉक–इन–इन्टरव्यू (ऑनलाईन) के माध्यम से फिक्स वेतन पर अस्थायी रुप से नियुक्त किया जाना है, जिससे कि स्वास्थ्य केन्द्र में फिजियोथेपी का कार्य भी सुचारु रुप से किया जा सके। अतः उक्त की **स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रो0 एस0सी0 बागड़ी ने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट (Physiotherapist) के स्थान पर होमोपैथिक अथवा आयुर्वेदिक चिकित्सक को रखा जा सकता है। मान्य कुलपति जी ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में योग एवं शारीरिक शिक्षा विभाग है, जिनमें समय–समय पर फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है।**

**अतः इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समविश्वविद्यालय के चिकित्सा केन्द्र में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत एक फिजियोथेरेपिस्ट (Physiotherapist) के पद पर फिक्स वेतन पर अस्थायी रुप से नियुक्त करने हेतु स्वीकृत किया जाता है।**

**पूरक प्रस्ताव संख्या 03 विश्वविद्यालय में कार्यरत तदर्थ/फिक्स वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में पांच प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में विचार।**

विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान एवं स्व–वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत तदर्थ एवं फिक्स वेतन पर कर्मचारी कार्यरत हैं। इस सम्बन्ध में वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.02.2019 के प्रस्ताव संख्या–08 में स्वीकृत किया गया था कि आगामी वित्तीय वर्षो में माह नवम्बर में इस प्रकार के कर्मचारियों को 5–5 प्रतिशत की वृद्धि इस आशय के साथ कर दी जाये कि यह राशि सातवे वेतन आयोग से प्राप्त फिटमेंट टेबिल में न्यूनतम राशि से अधिक नही होनी चाहिये। वर्तमान में वित्तीय स्थिति एवं धन की उपलब्धता के आलोक में निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा रहे हैं –

1 पे लेवल 01 से 10 अथवा 10 से ऊपर के कर्मचारियों को 3 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दी जाये परन्तु 3 प्रतिशत की वृद्धि के उपरान्त कर्मचारी का फिक्स वेतन फिटमेंट टेबिल में न्यूनतम राशि से अधिक न हो।

2 वित्तसमिति की बैठक दिनांक 16.02.2019 के प्रस्ताव संख्या–08 पर वित्त समिति में लिये गये निर्णयानुसार जिन कर्मचारियों को प्रतिमाह फिक्स वेतन सातवें वेतन आयोग से प्राप्त फिटमेंट टेबिल में अंकित न्यूनतम राशि से अधिक है ऐसे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को कोई भी आर्थिक वृद्धि दिया जाना सम्भव नही होगा, जिसे कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा जिस कर्मचारी का फिक्स वेतन फिटमेंट टेबिल के आरम्भिक मूल वेतन से कम है तो उसे आर्थिक वृद्धि प्राप्त फिक्स वेतन पर देय होगी।

3 एम.टी.एस./लैब अटै0/फील्ड अटै0/गैलरी अटै0/लाइब्रेरी अटैन्डेन्ट एव समकक्ष पदों की नई भर्ती सातवें वेतन आयोग से प्राप्त फिटमेंट टेबिल में न्यूनतम राशि रू.18000/– का 60 प्रतिशत राशि रू.10,800/– देय होनी चाहिये, तथा यह व्यवस्था जनवरी 2022 से प्रभावी होगी। वर्तमान में उक्त पदों पर फिक्स मानदेय में कार्यरत जिन कर्मचारियों को रू.10,800/– से कम वेतन मिल रहा है उन्हें भी माह जनवरी 2022 से रू.10,800/– फिक्स वेतन देय होगा एवं ऐसे कर्मचारियों को आर्थिक वृद्धि (तीन प्रतिशत) जनवरी 2023 में एक वर्ष की सेवा के उपरान्त देय होगी।

4 एल.डी.सी./डाटा एन्ट्री आपरेटर/लैब असिस्टैन्ट/टैक्नीशियन/सुपरवाईजर/जनरेटर आपरेटर एवं समकक्ष पदों आदि की नई भर्ती में सातवें वेतन आयोग से प्राप्त फिटमेंट टेबिल में न्यूनतम राशि रू.19900/– का 60 प्रतिशत राशि रू.11,940/– अर्थात् रू.12000/–(सातवें वेतन आयोग के अनुसार 100 के गुणांक में) देय होनी चाहिये तथा यह व्यवस्था जनवरी 2022 से प्रभावी होगी। वर्तमान में उक्त पदों पर फिक्स मानदेय में कार्यरत जिन कर्मचारियों को रू.12,000/– से कम वेतन मिल रहा है उन्हें भी माह जनवरी 2022 से रू.12,000/– फिक्स वेतन देय होगा एवं ऐसे कर्मचारियों को आर्थिक वृद्धि (तीन प्रतिशत) जनवरी 2023 में एक वर्ष की सेवा के उपरान्त देय होगी।

5 असिस्टैन्ट प्रोफेसर की नई भर्ती सातवें वेतन आयोग से प्राप्त फिटमेन्ट टेबिल के न्यूनतम लेविल रू.57,700 का 60 प्रतिशत रू.34600/– पर देय होनी चाहिये। तथा यह व्यवस्था जनवरी 2022 से प्रभावी होगी। जिन शिक्षकों को रू.34600/–से कम वेतन मिल रहा है उन्हें भी माह जनवरी 2022 से रू.34,600/– फिक्स वेतन देय होगा एवं ऐसे शिक्षकों को आर्थिक वृद्धि (तीन प्रतिशत) जनवरी 2023 में एक वर्ष की सेवा के उपरान्त देय होगी।

6 ओ.बी.सी. ग्रान्ट में नियुक्त फिक्स कर्मचारियों के पद चूंकि यू.जी.सी. से स्वीकृत है। इन्हें वर्तमान में जो भी फिक्स वेतन मिल रहा है उसमें आर्थिक वृद्धि नही की जानी चाहिये तथा शीघ्रताशीघ्र उक्त पदों पर स्थायी रूप से नियमित नियुक्ति की प्रकिया आरम्भ की जानी चाहिये।

7 वर्तमान में विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर वर्ग के जो पद रिक्त है उन पर नियमानुसार नियमित नियुक्ति/पदोन्नति की प्रकिया आरम्भ की जानी चाहिये।

8 उपरोक्त बिन्दु 03, 04 एवं 05 के अनुसार आर्थिक वृद्धि आगामी प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी में दी जायेगी तथा यह वृद्धि उन्हीं फिक्स शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को दी जायेगी जिन्हें 31 दिसम्बर तक एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई हो तथा उनका वेतन फिटमेन्ट टेबल में अंकित न्यूनतम राशि से कम हो।

**उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि इस प्रस्ताव को दिनांक 30.04.2021 को विश्वविद्यालय के वित्त समिति में चर्चा हुई तथा वित्त समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को सैद्वानितक रुप से स्वीकार कर लिया गया है जिसे कि जनवरी 2022 से प्रभावी माना जायेगा। अतः उक्त प्रस्ताव को वित्त समिति के निर्णय के अनुसार सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।**

**पूरक प्रस्ताव संख्या–04 विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को मूल वेतन का 02 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा।**

विश्वविद्यालय में कुल 24 शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य का दो प्रतिशत मानदेय दिया जा रहा है जिसकी सूची संलग्न है। अतः इस संलग्न सूची में कम सं0 4,5,7,8 एवं 23 पर अंकित कर्मचारियों को दो प्रतिशत अतिरक्त मानदेय माह मई 2021 से दिया जाना उचित नही होगा। इस विषय पर वित्त समिति की बैठक में भी दिनांक 30.04.2021 को विचार–विमर्श किया जा चुका है।

**उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि इस प्रस्ताव को दिनांक 30.04.2021 को विश्वविद्यालय के वित्त समिति में चर्चा हुई तथा वित्त समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि क0सं0 04,05,07,08 एवं 23 पर अंकित कर्मचारी श्री रमाशंकर, श्री प्रमोद कुमार, श्री नवीन कुमार, श्री बलजीत सिंह एवं श्री बीरेन्द्र सिंह को वेतन में मिलने वाला दो प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय राशि को मई 2021 से न दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।**
**अतः उक्त प्रस्ताव को वित्त समिति के निर्णय के अनुसार सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।**

**पूरक प्रस्ताव संख्या–05 प्रबन्ध मण्डल की बैठक में वित्ताधिकारी को विशेष आमन्त्रित सदस्य के रुप में बुलाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय में वित्त समिति की बैठक का संयोजक वित्ताधिकरी होता है, जिसमें कुलसचिव को विशेष आमन्त्रित सदस्य के रुप में बुलाया जाता है। प्रबन्ध मण्डल की बैठक का संयोजक कुलसचिव होता है, जिसमें वित्ताधिकारी को विशेष आमन्त्रित सदस्य के रुप में बुलाया जाना अनिवार्य होना चाहिए, जिससे कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक में सामान्य प्रशासन तथा वित्त की स्थिति के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार विचार विमर्श किया जा सके।

**उक्त प्रस्ताव पर प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक में कई प्रस्ताव वित्त से सम्बन्धित होते हैं। अतः उन पर स्पष्टीकरण एवं वित्तीय सम्बन्धित नियमों के आलोक में कार्यवाही किये जाने निमित्त विवरण रखे जाने हेतु विश्वविद्यालय के पदेन वित्ताधिकारी को प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठकों में आंमत्रित सदस्य के रुप में बुलाया जा सकता है। डॉ0 नैपाल सिंह तोमर एवं श्री विनय आर्य ने कहा कि पदेन वित्ताधिकारी को प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठकों में आंमत्रित सदस्य के रुप में बुलाया जा सकता है परन्तु उन्हें विश्वविद्यालय के एम0ओ0ए0 के नियमानुसार वोटिंग का अधिकार नही होगा।**

अतः प्रस्तावानुसार विश्वविद्यालय के पदेन वित्ताधिकारी को प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठकों में आंमत्रित सदस्य के रुप में बुलाया जाना सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

पूरक प्रस्ताव संख्या–06 सेवानिवृत्ति के उपरान्त शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति के सन्दर्भ में यू0जी0सी0 के दिशा–निर्देशों के अनुसार विचार हेतु प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि केवल अति आवश्यक परिस्थितयों में ही सेवानिवृत्त शिक्षकों को मान्य कुलपति जी अपने विवेक एवं अधिकार से अध्यापन कार्य लेने हेतु प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में पुनर्नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन 06 महीने के अन्दर प्रबन्ध मण्डल से इस पुनर्नियुक्ति का अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। यह पुनर्नियुक्ति प्रथम चरण में 03 वर्षों के लिये होगी। तदुपरान्त आवश्यकता को देखते हुए यह अवधि अधिकतम 02 वर्षों के लिये बढ़ायी जा सकती है। पुनर्नियुक्ति की सम्पूर्ण अवधि अधिकतम 70 वर्ष तक की आयु तक ही होगी। पुनर्नियुक्त शिक्षकों को संवैधानिक पदों से सम्बन्धित (जैसे विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, कोर्डिनेटर, वित्ताधिकारी, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक जैसे पदों पर) दायित्व नही दिया जायेगा। लेकिन विश्वविद्यालय की व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने हेतु पुनर्नियुक्त शिक्षकों के अनुभवों के आलोक में मान्य कुलपति जी विश्वविद्यालय हित में इनका सहयोग एवं योगदान ले सकते है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के दिशा–निर्देश {**No.F.25-1/2018 (PS/MISC.) January 2019**} के अनुसार संविदा आधार पर पुनर्नियुक्त शिक्षकों को मानदेय के रुप में मात्र रु.50,000/– प्रतिमाह फिक्स वेतन देय होगा। उक्त व्यवस्था सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों पर लागू नही होगी। केवल विशेष परिस्थितियों में शिक्षकों के विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों में जो पद रिक्त हैं, उनके 20 प्रतिशत भाग तक ही मान्य कुलपति जी के द्वारा उपर्युक्त विवरण के आधार पर पुनर्नियुक्ति की जायेगी।

प्रस्ताव उपर्युक्तानुसार सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

शान्ति पाठ के पश्चात् इस बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलसचिव